

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 62/11

संस्थापन दिनांक:-21/03/11

फाईलिंग नं. 233504000102011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सुरेश पिता संतुराम सरयाम,
उम्र 32 वर्ष, निवासी सोमलापुर,
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 29.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.02.2011 को शाम 07:00 बजे तहसील कार्यालय नाग मंदिर के पास लोकमार्ग आमला पर वाहन क्र. एमपी-48-3632 को बिना वैध रजिस्ट्रेशन के उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 05.02.2011 को शाम करीब 7 बजे उसकी मोटर सायकिल सीडी डिलक्स से विनय पाल के साथ आमला से सोमलापुर जा रहा था। तभी नाग मंदिर के पास अम्बाड़ा तरफ से अभियुक्त उसकी मोटर सायकिल हीरोहोंडा ग्लेमर को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते ला और उसकी मोटर सायकिल को ठोस मार दी। जिससे वह और विनय गिर गये जिससे उसे दाहिने पैर में और विनय को बांये पैर में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायकिल हीरोहोंडा ग्लेमर का चालक सुरेश के विरुद्ध अपराध क्र. 35/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से हीरोहोंडा ग्लेमर क्र. एमपी-48-एमबी-3632 को मय पंजीयन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी अजय एवं आहत विनय का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 337, 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से

अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.02.2011 को शाम 07:00 बजे तहसील कार्यालय नाग मंदिर के पास लोकमार्ग आमला पर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-3632 को बिना वैध रजिस्ट्रेशन के उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक ढंग से परिचालित किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 विनय (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया कि वह अजय के साथ मोटर सायकल से सोमलापुर तरफ जा रहा था। तभी अभियुक्त सुरेश ने उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दिया जिससे उसे एवं अजय को चोटें आई थी। इलाज के लिए आमला अस्पताल गए थे। अजय (अ.सा.-5) ने साक्षी विनय का समर्थन करते हुए यह बताया कि वह मोटर सायकल से विनय के साथ घर की ओर जा रहा था तभी अभियुक्त सुरेश ने अपने मोटर सायकल को तेजी से चलाकर टक्कर मारी दी, जिससे उसका दाहिने पैर में फ्रेक्चर हो गया था एवं विनय को चोटें आई थी। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी।

7 अशोक नागले (अ.सा.-3) एवं सुरेन्द्र (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह प्रकट किया कि सूचना मिलने पर आमला अस्पताल गए थे जहां पर अजय एवं विनय को घायल अवस्था में देखा था। सुरेन्द्र (अ.सा.-2) ने अपने परीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि वही पर अभियुक्त सुरेश भी मिला था जिसे भी चोटें आई थी।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 09.02.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉक्टर एन.के. रोहित द्वारा आहत अजय को दांयी पिंडली और पैर के एक्सरे हेतु भेजे जाने पर आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 1076 में बांयी पांचवी मेटाटारसल का दूर वाला सिरा टूटा होना बताते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.-2) अशोक नागले (अ.सा.-3) अजय (अ.सा.-5) विनय (अ.सा.-4) के कथनों से एक्सीडेंट में आहत अजय के पैर में फ्रेक्चर होने के तथ्य की संपुष्टि होती है। अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या आहत अजय को आई चोट अभियुक्त सुरेश के द्वारा अपने वाहन को

उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित की गई।

9 विनय (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि घटना दिनांक को उसकी मोटर सायकल अजय चला रहा था और वह पीछे बैठा था। जंबाड़ा रोड पर स्थित नाग मंदिर के पास अभियुक्त सुरेश सामने से मोटर सायकल तेज गति से चलाकर लाया और उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दिया। अजय (अ.सा.-5) ने उक्त साक्षी के कथनों को समर्थन करते हुए बताया कि अभियुक्त सुरेश ने मोटर सायकल को तेजी से चलाकर उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दी थी।

10 अशोक नागले (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि वह घटना के समय अपने घर पर था। अजय ने फोन करके यह बताया कि एक्सीडेंट हो गया है तो वह अस्पताल पहुंचा। जहां पर अजय ने यह बताया कि गाड़ियों की टक्कर हो गयी थी। सुरेन्द्र (अ.सा.-2) ने यह बताया कि उसे यह सूचना मिली थी कि उसके भाई विनय का मोटर सायकल से एक्सीडेंट हो गया है तो वह अस्पताल गया था। जहां पर उसे यह पता चला कि अभियुक्त सुरेश ने मोटर सायकल से टक्कर मार दी है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया कि उसे यह नहीं मालूम की किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने कोई भी तथ्य अभियोजन के समर्थन में प्रकट नहीं किए हैं। प्रति परीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के सूझाव को सही बताया कि उनके समक्ष एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस तरह से उपर्युक्त साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती।

11 प्रकरण में अजय (अ.सा.-5) एवं विनय (अ.सा.-4) के साक्ष्य उपलब्ध हैं। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियुक्त सुरेश द्वारा अपनी मोटर सायकिल से उनकी मोटर सायकल को टक्कर मारना बताया है। अजय (अ.सा.-5) ने प्रति परीक्षण के पैरा क. 05 में यह बताया कि घटना स्थल कच्चा रोड था, वहां पर गड़ढे और बड़े बड़े पत्थर भी थे। अभियुक्त की मोटर सायकल धीमी गति से चल रही थी परंतु गड़ढे होने के कारण अनबैलेंस हो गयी थी और उनकी मोटर सायकिल से टकरा गई थी। विनय (अ.सा.-4) ने अपने प्रति परीक्षण में यह बताया कि घटना स्थल कच्चा रोड था और वहां पर गड़ढे थे। रोड में गड़ढे होने के कारण अभियुक्त की मोटर सायकिल अनबैलेंस होकर उनकी मोटर सायकल से टकरा गई थी।

12 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त की मोटर सायकिल फरियादीगण की मोटर सायकल से टकराई थी, परंतु स्वयं आहत अजय (अ.सा.-5) एवं विनय (अ.सा.-4) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त सुरेश के द्वारा अपनी मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया। स्वयं आहतगण ने यह बताया कि अभियुक्त की मोटर सायकिल गड़ढे होने के कारण अनियंत्रित हो गई थी। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त सुरेश ने मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर फरियादी

अजय को घोर एवं आहत विनय को साधारण उपहति कारित की। अभिलेख पर ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त सुरेश से वाहन एवं दस्तावेजों की जप्ती घटना दिनांक को या उसके तत्काल पश्चात की गई हो तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त घटना दिनांक को अपने वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा था। निष्कर्षतः अभियुक्त सुरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3632 मय दस्तावेज रामाजी पिता जागो निवासी बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)